तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/2/21	...22... उपरान्त। सात्विक आदेश दिनांक ...12/.../21... की पालना में पत्रावली वास्ते ...SFH... दिनांक ...22/3/21... पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) ...उपरान्त सात्विक आदेश दिनांक... की पालना में पत्रावली वास्ते... दिनांक... पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
22.3.21	बहस वकील सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली आदेश दिनांक 8/4/21 को पेश हो। SDOK
8.4.21	बमुजब उपरोक्त दावा वादी का स्वीकार तद् डिक्री किया जाकर, निर्णय पृथक से लिखा गया। जाकर तदानुसार, पक्की डिक्री जारी होकर पत्रावली मौसल हुमार होकर मरतब से कम हो बाद तकमील रिकॉर्ड दाखिल हो। सुनाया। (हस्ताक्षर) SDOK

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 9 / 2021

बउनवान

1. महेशकुमार पुत्र श्री देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर --- वादी

बनाम

1. देवेन्द्रकुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

असल प्रतिवादी

2. लोकेन्द्रकुमार पुत्र श्री देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी
3. ब्रहमदत्त पुत्र देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी
4. नरेन्द्रकुमार पुत्र देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री सुभाशचन्द शर्मा – अधिवक्ता वादी

श्री नारायणसिंह सैनी– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ला0 4

निर्णय

दिनांक 08.04.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1279 रकवा 0.08 हे. 1303 रकवा 0.20 हे. 1307 रकवा 0.14 हे. 1309 रकवा 0.76 हे. 145 रकवा 1.14 हे. 39 रकवा 0.86 हे. 1293 रकवा 0.42 हे. 84 रकवा 1.06 हे. 88 रकवा 1.62 हे. 1199

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रकवा 0.06 हे. 1295 रकवा 0.22 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी में वादी प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में दर्ज आराजी के 1/5 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। वादी ने दावा के पैरा सं. 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्रकुमार के चार लडके है जो वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 2 ला0 4 सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं0 1 के सगे पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजीयात विरासत में अपने पिता प्रभूदयाल से प्राप्त हुई है आराजी मुतनाजा पैत्रिक आराजीयात है आराजी मुतनाजा में वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण का जन्म से यानि बाई बर्थ हक वो हिस्सा है तथा मौके पर हिस्सा मुताविक राजस्व रेकार्ड वादी मौके पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है प्रतिवादी सं0 1 जो कि शरायती किस्म का व्यक्ति है वह वाद के हिस्से की भूमि से महरूम रखना चाहता है ऐसी सूरत में वादी को मुताविक राजस्व रेकार्ड खातेदार काश्तकार घोशित फर्माया जावे एंव वर्तमान में हो रहे राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्रंकुमार के नाम को कलमजन कर दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री फर्माये जाने की कृपा करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 21.01.2021 को प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने हाजिर अदालत होकर अपने अधिवक्ता के जरिये ईकवाल दावा पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी को पैत्रिक मानते हुये व अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारी की आराजी पर वादी का 1/5 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ला0 4 का 3/5 हिस्सा पर कब्जा मानते हुये अपने नाम दर्ज विवादित आराजी में हिस्सा के मुताविक वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

घोशित कर दिये जाने की सहमति प्रदान की है। ईकबाल जवाव शामिल पत्रावली हैं।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी 2074 से 2077 किता 4 प्रदर्श–1 वाके ग्राम मसारी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। वादी स्वंय ने अपने दावा के समर्थन में बतौर गवाह शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्रकुमार को वादी के दादा प्रभूदयाल से विरासत में प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को जन्म से ही वहिस्सा बराबर अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने हाजिर अदालत होकर इकवाल जवाव दावा पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है व विवादित आराजी को वादी के दादा प्रभूदयाल से प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त होना व विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का वहिस्सा बराबर कब्जा काश्त स्वीकार किया है व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने मुताविक अनुतोश वाद वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। विवादित आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी का प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में हिस्सानुसार कब्जा प्रमाणित है। अतः दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड इकवाल जवाव दावा व वादी के शपथ पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीकी वहस पर मनन किया। जमाबन्दी प्रदर्श 1 में विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्रकुमार की खातेदारी में दर्ज है। यह निर्विवाद है कि देवेन्द्रकुमार प्रतिवादी सं0 1 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का पिता है तथा

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता प्रभूदयाल से विरासत मे प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने विवादित आराजी को अपने पिता व दादा प्रभूदयाल से विरासत में प्राप्त होना व प्रतिवादी देवेन्द्रकुमार के हिस्से की आराजी पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 का वहिस्सा बराबर कब्जा काश्त स्वीकार किया है। वादी ने अपने शपथ पत्र में भी विवादित आराजी पर अपना कब्जा स्वीकार किया है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पुत्र पुत्री पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक हिस्सा व अधिकार पैदा होते है। इसी अधिकार के तहत विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, वादी का 1/5 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 2 ला0 3 का 3/5 हिस्सा पर कब्जा सावित है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड व गवाह पी डब्ल्यू 1 वादी महेशकुमार व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 द्वारा प्रस्तुत ईकवाल जवाव के अवलोकन से विवादित आराजी पैत्रिक सावित होने से वादी विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1, 1/5 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 2 ला0 3 को 1/5 हिस्से की अपने नाम घोशणा कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः दावा वादी सावित होने से डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 1279 रकवा 0.08 हे. 1303 रकवा 0.20 हे. 1307 रकवा 0.14 हे. 1309 रकवा 0.76 हे. 145 रकवा 1.14 हे. 39 रकवा 0.86 हे. में वादी को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 को 4/5 हिस्से का खसरा नम्बर 1293 रकवा 0.42 हे. में वादी को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2/5 हिस्से का खसरा नम्बर 84 रकवा 1.06 हे. 88 रकवा 1.62 हे. में वादी को 3/20 हिस्से का प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को 12/20 हिस्से का व खसरा नम्बर 1199 रकवा 0.06 हे. 1295 रकवा 0.22 हे. में वादी को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को 2/5 हिस्सा वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8.4.21

अनिलकुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 08.04.2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.4.21

अनिलकुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/9/2021

बउनवान

2. महेशकुमार पुत्र श्री देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर --- वादी

बनाम

5. देवेन्द्रकुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

असल प्रतिवादी

6. लोकेन्द्रकुमार पुत्र श्री देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी
7. ब्रहमदत्त पुत्र देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी
8. नरेन्द्रकुमार पुत्र देवेन्द्रकुमार जाति ब्राहमण निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 1279 रकवा 0.08 हे. 1303 रकवा 0.20 हे. 1307 रकवा 0.14 हे. 1309 रकवा 0.76 हे. 145 रकवा 1.14 हे. 39 रकवा 0.86 हे. में वादी को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 को 4/5 हिस्से का खसरा नम्बर 1293 रकवा 0.42 हे. में वादी को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को 2/5 हिस्से का खसरा नम्बर 84 रकवा 1.06 हे. 88 रकवा 1.62 हे. में वादी को 3/20 हिस्से का प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को 12/20 हिस्से का व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1199 रकवा 0.06 हे. 1295 रकवा 0.22 हे. में वादी को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 को 2/5 हिस्सा वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें।

आज दिनांक 08.04.2021 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

8.4.21

अनिल कुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर